7. किसी व्यवस्था की विशिष्टयां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैः–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा अन्य विभागों द्वारा सौपे गये कार्य डिपाजिट के रूप में कराये जाते है। इनमें मुख्यतया ग्राम्य विकास विभाग/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा सौपे गये कार्य होते हैं। विभाग विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा संस्तुत योजनाओं यथा–सांसद निधि, विधायक निधि आदि के कार्य भी कराता है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा कराये जा रहे बुन्देलखण्ड विकास निधि, पूर्वांचल विकास निधि एवं प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना आदि के अन्तर्गत कार्य भी जनप्रतिनिधियों द्वारा संस्तुत होते है। स्पष्टतः जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों पर सम्यक् विचार किया जाता है।